



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102025-266742
CG-DL-E-07102025-266742

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4419]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 7, 2025/आश्विन 15, 1947

No. 4419]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 7, 2025/ASVINA 15, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4547(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2827(अ) तारीख 24/06/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-46) (भोपाल – ब्यावरा खण्ड) के कि.मी. 400.100 से कि.मी. 421.775 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 11/07/2025 को समाचार पत्र "नवदुनिया" एवं "दि हितवादा" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-46) (भोपाल – ब्यावरा खण्ड) के कि.मी. 400.100 से कि.मी.421.775 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का विवरण

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: राजगढ़		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: ब्यावरा					
गांव का नाम: तलाबड़ा उर्फ चम्पापुर					
1	198/158/11/1/6	निजी	सिंचित	0.019	प्रेमनारायण रामेश्वर कन्हैयालाल पिता भोनजी
2	198/158/2	निजी	आवासीय	0.025	जगदीश एवं मोहन पिता फूलसिंह
कुल योग				0.044	

[फा. सं. RW/NH-37014/24/2010-NHDP-IVA/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2025

S.O. 4547(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **2827(E) Dated: 24/06/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No-12 (New NH-46) (Bhopal - Biaora section) in the stretch of land from Km. 400.100 to Km. 421.775 in the district of RAJGARH in the state of MADHYA PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in News Paper "Navduniya" and "The Hitavada" both dated 11/07/2025 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections under Section 3-C has been made to the Competent Authority within the period specified therein;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the National Highway No-12 (New NH-46) (Bhopal - Biaora section) in the stretch of land from Km. 400.100 to Km. 421.775 in the district of RAJGARH in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: RAJGARH		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Biaora					
Village: Tala Bada urf Champapur					
1	198/158/11/1/6	Private	Irrigated	0.019	Premnarayan Rameshwar Kanhayalal son Bhonji
2	198/158/2	Private	Residence	0.025	Jagdish and Mohan Son Phoolsingh
Total				0.044	

[F. No. RW/NH-37014/24/2010-NHDP-IVA/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director